झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/557/2008/पार्ट–I............../राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

मुक्तिसाधन चौरसिया
उप सचिव (अभि०)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार**

विषय :– **सिंचाई प्रमण्डल दुमका अधीन मशानजोर एवं विजयपुर स्थित निरीक्षण भवनों के मरम्मति एवं संपोषण कार्य हेतु ₹ 17.94 लाख (सत्रह लाख चौरानवे हजार) मात्र के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत

2. सिंचाई प्रमण्डल दुमका अधीन मशानजोर एवं विजयपुर स्थित निरीक्षण भवनों के मरम्मति एवं संपोषण कार्य हेतु ₹ 17.94 लाख (सत्रह लाख चौरानवे हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है।

क्र०	कार्य का नाम	प्रमण्डल का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)
1.	मसानजोर निरीक्षण भवन का रख–रखाव/सम्पोषण कार्य।	सिंचाई प्रमण्डल, दुमका	16.116
2.	विजयपुर निरीक्षण भवन का वार्षिक रख–रखाव/सम्पोषण कार्य।	सिंचाई प्रमण्डल, दुमका	1.824
	कुल योग		**17.94**

सिंचाई प्रमण्डल, दुमका के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :–

i) मसानजोर स्थित निरीक्षण भवन का रख–रखाव एवं सम्पोषण हेतु ₹ 16.116 लाख का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत निरीक्षण भवन के दीवार एवं सीलिंग की रंगाई पोताई, क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति, गार्डनिंग, पी०सी०सी० कार्य, बाउंड्रीवाल, रख–रखाव हेतु दैनिक मजदूर, माली, स्वीपर, कुक, हेल्पर आदि का पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा।

ii) सिंचाई प्रण्डल, दुमका के अन्तर्गत विजयपुर निरीक्षण भवन सह मुख्य अभियंता, देवघर कार्यालय के रख–रखाव एवं सम्पोषण कार्य हेतु ₹ 1.824 लाख का प्रावधान हैं। इसके अन्तर्गत निरीक्षण भवन में लगे जलापूर्ति हेतु विद्युत पम्प, मोटर के मरम्मति एवं सम्पोष्ण का प्रावधान है। निरीक्षण भवन के साज सजावट हेतु बेड सीट, तौलिया, परदा, शौचालय की सफाई एवं अन्य प्रतिदिन व्यवहृत होनेवाले सामाग्रियों का प्रावधान है। निरीक्षण भवन के फुलवारी के रख–रखाव एवं शौचालय एवं स्नानागार की सफाई हेतु दैनिक मजदूरी के आधार पर माली एवं स्वीपर रखने का प्रावधान है।

3. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूरा कराया जायेगा।

4. उपरोक्त कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका होंगे तथा अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, दुमका एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर इसके नियंत्री पदाधिकारी होगे।

D:\Node-4\Mi Sir\A.A.K\Sanlekh\Building (17.94).doc

5. इस कार्य पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष--789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–66–नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) के अन्तर्गत भारित होगा।

6. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंध है।

7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

8. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

9. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/557/2008/पार्ट–I............../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड राँची एवं योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/557/2008/पार्ट–I............../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, दुमका कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/557/2008/पार्ट–I 1915-16 ज.सं. **/राँची, दिनांक** 30.07.2015

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, दुमका/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/15
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)
30/07/15

D:\Node-4\Mi Sir\A.A.K\Sanlekh\Building (17.94).doc